न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 26 / 2024

अपीलकर्तागण

1 मायादेवी पत्नी नारायणराम
2 गीतादेवी पत्नी बंशीलाल
3 जसोदादेवी पत्नी गोविन्दराम
4 लेहरोदेवी पत्नी गांधीराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का वास बालेवा तहसील व जिला बाडमेर
5 ममतादेवी पत्नी पुरूषोतम जाति मेगवाल निवासी मेगवालों का वास रामसर तहसील रामसर
6 नारायणराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी चोखोणियों की ढाणी नांद तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

उतरदातागण

1 ग्राम पंचायत बाडमेर बाडमेर मगरा जरिये सरपंच 2 गजाराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री नृसिंह सोलंकी, वकील अपीलकर्तागण।

आदेश

दिनांक 10/06/25

संक्षिप्त में अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बाडमेर मगरा के खेत खसरा संख्या 3545 / 219 रकबा 0.1619 हैक्टेयर उतरदाता संख्या 02 की खातेदारी का आया हुआ है। उक्त भूमि में से खातेदार उतरदाता संख्या 02 द्वारा अपीलान्ट संख्या 01 से 04 को जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 27.09.2016 को अपीलान्ट संख्या 01 को 17 / 200 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 02 को 69 / 400 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 03 को 17 / 200 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 04 को भी 17 / 200 हिस्सा विक्रय कर मौके पर काबिज करवाया गया तथा उक्त भूमि में से उतरदाता संख्या 02 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 01.12.2017 को अपीलान्ट संख्या 05 को 17 / 200 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 06 को 25 / 132 हिस्सा भूमि विक्रय कर मौके पर काबिज करवाया गया। उक्त बेचान पत्र की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को नामान्तकरण भरने हेतु अपीलकर्तागण द्वारा सुपूर्द की गई तब पटवारी हल्का द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित कर दिया जावेगा लेकिन पटवारी हल्का द्वारा न तो दस्तावेजों की जांच की गई तथा न ही नामान्तकरण पारित किया गयां। अपील दर्ज करने से 10 अर्सा पूर्व अपीलकर्तागण द्वारा उक्त भूमि की जमाबन्दी निकाली गई तब उक्त नामान्तकरण न होने का अपीलकर्तागण को ज्ञान हुआ, जिस पर अपीलकर्तागण द्वारा दिनांक 21.08.2024 को पटवारी हल्का से नकले प्राप्त होने पर उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तकरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा खारिज कर दिया तब पटवारी हल्का से नामान्तकरण संख्या 3069 की नकले प्राप्त करने पर अपीलकर्तागण को उक्त नामान्तकरण खारिज होने का ज्ञान हुआ। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन आदेष नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 20.08.2024 पारित करने में भारी

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

विधिक भूल की है। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण पारित करते समय पंजीबद्ध बेचान पत्र में नामान्तकरण की प्रविष्टियों का मिलान नहीं किया गया तथा न ही अपीलकर्तागण को किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर मौजा बाड़मेर मगरा के खेत खसरा संख्या 3545/219 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि में अपीलान्ट संख्या 01 को 17/200 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 02 को 69/400 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 03 को 17/200 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 04 को भी 17/200 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 05 को 17/200 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 06 को 25/132 हिस्सा भूमि खातेदारी अधिकारों की है तथा उक्तानुसार अपीलकर्तागण मौके पर कब्जा काश्त है। लिहाजा मौजा बाड़मेर मगरा के खेत खसरा संख्या 3545/219 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 3069 को निरस्त करने के आदेष प्रदान कर अपीलकर्तागण द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों के आधार पर नामान्तकरण परित किये जाने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्तागण की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलककर्ता द्वारा सर्वप्रथम मौजा वाडमेर मगरा के खेत खसरा संख्या 3545/219 रकवा 0.1619 हैक्टेयर उतरदाता संख्या 02 की खातेदारी का आया हुआ है। उक्त भूमि में से खातेदार उतरदाता संख्या 02 द्वारा अपीलान्ट संख्या 01 से 04 को जरिये पंजीवद्ध बेचान पत्र दिनांक 27.09.2016 को अपीलान्ट संख्या 01 को 17/200 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 02 को 69/400 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 03 को 17/200 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 04 को भी 17/200 हिस्सा विक्रय कर मौके पर काबिज करवाया गया तथा उक्त भूमि में से उतरदाता संख्या 02 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 01.12.2017 को अपीलान्ट संख्या 05 को 17/200 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 06 को 25/132 हिस्सा भूमि विक्रय कर मौके पर काविज करवाया गया। उक्त बेचान पत्र की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को नामान्तकरण भरने हेतु अपीलकर्तागण द्वारा सुपूर्द की गई तब पटवारी हल्का द्वारा आष्वासन दिया गया कि उक्त बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित कर दिया जावेगा लेकिन पटवारी हल्का द्वारा न तो दस्तावेजों की जांच की गई तथा न ही नामान्तकरण पारित किया गयां। अपील दर्ज करने से 10 अर्सा पूर्व अपीलकर्तागण द्वारा उक्त भूमि की जमाबन्दी निकाली गई तव उक्त नामान्तकरण न होने का अपीलकर्तागण को ज्ञान हुआ, जिस पर अपीलकर्तागण द्वारा दिनांक 21.08.2024 को पटवारी हल्का से नकले प्राप्त होने पर उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तकरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा खारिज कर दिया तव पटवारी हल्का से नामान्तकरण संख्या 3069 की नकले प्राप्त करने पर अपीलकर्तागण को उक्त नामान्तकरण खारिज होने का ज्ञान हुआ। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निरकर्ष पर पहुचे है कि अपीलकर्तागण द्वारा उतरदाता संख्या 02 से जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 27.09.2016 व दिनांक 01.12.2017 को भूमि का क्रय किया है तथा उक्त बेचान पत्र के आधार पर ही मौके पर अपीलकर्तागण का कब्जा काश्त है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 20.08.2024 को निरस्त किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण पारित करने हेतु उतरदाता संख्या 01 के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत की थी परन्तु उतरदाता संख्या 01 द्वारा दस्तावेजों की जांच किये बिना नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 20.08.2024 को निरस्त किया गया है, जो अनुचित है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा बाडमेर मगरा के खेत खसरा संख्या 3545/219 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि में निरस्त नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 20.08.2024 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 27.09.2016 व दिनांक 01.12.2017 की जांच करते हुए बाद जांच नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10/06/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर